सूची–१४ –फारम सं० ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं०– 28/2012

गोपाल सिंह

बनाम

सरकार (मार्फत अनु० पदा,सदर, छपरा)

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
10.06.2015	यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी,सदर, छपरा के आदेश ज्ञापांक 343/आ०, दिनांक 03.03.12 के विरूद्ध दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 15.11.11 को 10.30 बजे पूवाहन् में श्री विजय कुमार कनीय अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग प्रमंडल 02 छपरा के द्वारा गोपाल सिंह ज०वि०प्र०वि० अनुज्ञप्ति सं० 31/07, पंचायत सतुआ प्रखंड बनियापुर की दूकान की जांच की गई। जांच के कम में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः– 1. जंच के समय 10.30 बजे पूवाहन् में विक्रेता की दूकान बंद थी, जिस वजह से उनकी दूकान की पंजियों की जांच नहीं की जा सकी। 2. सूचना पटट् एवं भण्डार मूल्य प्रदशर्न पटट् नहीं पाया गया। 3. दूकान अनुज्ञप्ति स्थल पर नहीं पाया गया। उक्त अनियमितताओं के लिए अनुमंडल पदाधिकारी सदर, छपरा –सह– अनुज्ञापन पदाधिकारी के ज्ञापांक 61 आ० दिनांक 04.01.12 के द्वारा विक्रेता से कारण पृच्छा किया गया। विक्रेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया जिसे असंतोषजनक पाकर अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा विक्रेता की अनुज्ञप्ति रदद् कर दी गई, जिसके विरूद्ध यह अपील वाद लाया गया है। दिनांक 16.04.15 को अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि दिनांक 14.11.11 को विक्रेता के बहनोई को दिल का दौरा पड़ा एवं उसी दिन	

संध्या में उनकी मृत्यु हो गई जिनके अंतिम दर्शन के लिए विकेता गोरखपुर चले गए थे जिस वजह से विकेता की दूकान जांच की तिथि 15.11.11 को बंद पाई गई। विकेता के द्वारा प्रतिदिन निर्धारित अवधि में दूकान खोला जाता हैं, एवं अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया जाता है। सूचना पटट् एवं भण्डार मूल्य से संबंधित पटट् दूकान के अंदर रखा हुआ था जिस वजह से जांच पदाधिकारी को दिखाई न पडा हो। जहां तक विकेता के द्वारा अन्यत्र दूकान के संचालन का प्रश्न है, इस संबंध मे कहना है कि यह आरोप पुरी तरह से गलत है। इसकी जांच करायी जा सकती है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया कि प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से विकेता के अपील आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाए।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरांत इस न्यायालय के ज्ञापांक 266 दिनांक 21.04.15 के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी सदर, छपरा से इस बिन्दु पर स्पष्ट प्रतिवेदन की मांग की गई कि विकेता की अनुज्ञप्ति में व्यपार स्थल से संबंधित विवरणी एवं जांच के समय जिस स्थल पर दूकान का संचालन किया जा रहा था उससे संबंधित विवरणी क्या थी।

अनुमंडल पदाधिकारी सदर, छपरा के पत्रांक 737 दिनांक 26.05.15 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि तत्कालीन जांच पदाधिकारी श्री विजय कुमार कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, अमंडल 02 छपरा के द्वारा जांच के समय अपने निरिक्षण टिप्पणी में परिवर्तित स्थल से संबंधित विवरणी अंकित नहीं की गई थी एवं वर्तमान में वे इस जिले के कार्यरत नहीं है, जिनसे उक्त बिन्दु पर स्पष्ट प्रतिवेदन प्राप्त किया जा सके।

अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ पुनः आज दिनांक 10.06.15 को उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी सदर, छपरा से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विकेता के अपील आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाए।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि अपीलकर्ता के द्वारा विभागीय दिशा निदेश के आलोक में आचरण न करके गंभीर अनियमितताएं बरती गई है। अतः अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकृत करना उचित प्रतीत होता है।

उक्त पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश (343/आ0, दिनांक 03.03.12) एक मुखर आदेश नहीं है।

अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा विक्रेता को उपभोक्ताओं से प्राप्त बयान की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी है, या न ही अपने कारण पृच्छा में उपभोक्ताओं का नाम एवं उनके द्वारा लगाए गए आरोपो का उल्लेख ही किया गया है। इस तरह विक्रेता से किया गया कारण पृच्छा अपने आप मे अपूर्ण एवं अस्पष्ट है। अनुज्ञापन पदाधिकारी के पत्रांक 737 दिनांक 26.05.15 के द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन में अनुज्ञापन पदाधिकारी इसका उल्लेख नही कर पाए कि विक्रेता के द्वारा किस परिवर्तित स्थल पर दूकान का संचालन किया जा रहा था। वस्तुतः यह अनुज्ञापन पदाधिकारी के स्तर से सम्यक पर्यवेक्षण की कमी को प्रदर्शित करता है। निरिक्षण टिप्पणी में जांच पदाधिकारी के द्वारा परिवर्तित स्थल से संबंधित विवरणी (थाना सं0, मौजा, खाता सं0, खेसरा सं0 आदि) अंकित नहीं किया गया है। अनुज्ञापन पदाधिकारी को चाहिए था कि इस बिन्दु पर स्पष्ट प्रतिवेदन प्राप्त करके अग्रेतर कार्रवाई की जाती, लेकिन इसी अस्पष्ट एवं अपूर्ण प्रतिवेदन को आधार बनाकर विक्रेता से कारण पृच्छा किया गया एवं उसकी अनुज्ञप्ति रदद् कर दी गई। अनुज्ञापन पदाधिकारी को निर्देश है कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि की पुनरावृति न की जाए। अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी को संदेह का लाभ देते हुए उनके अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं सशोधित

10/06/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

10/06/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 393 /दिनांक 10/6/15

प्रतिलिपिः- अनुमंडल पदाधिकारी सदर, छपरा को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- विद्वान विशेष लोक अभियोजक, 7 ई0सी0, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0 सारण, छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेब साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

10/6/15

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।